Date 25/07/2020 Page: 1 to 2

CLASS: B.A.(H), PART-2ND
SUBJECT: POLITICAL SCIENCE
PAPER: III (INDIAN GOVERNMENT & POLITICS)
CH: 5 (DIRECTIVE PRINCIPLES OF STATE POLICY)
LECTURE NO.-22 (TOTAL-61)

By,
OM KUMAR SINGH
ASSISTANT PROFESSOR
DEPTT. OF POL. SCIENCE
D.B. COLLEGE, JAYNAGAR
LNMU, DARBHANGA

राज्य के नीति निर्देशक तत्व
Directive Principles of State Policy
(DPSP)

भूमिका एवं अर्थ—

किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण में नीति-निर्देशक तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राष्ट्र के संविधान में सरकार के लिए आचार संहिता के रूप में इसे शामिल कर लिया जाता है। यह राज्य हेतु नैतिक निर्देश होता है। राज्य के समक्ष कुछ आदर्श उपस्थित करते हैं, जिनके द्वारा देश के नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक उत्थान हो सकता है। संविधान की प्रस्तावना द्वारा भारत के नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता एवं न्याय प्रदान करवाने का लक्ष्य निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित किए जाने पर ही पूर्ण हो सकता है। ये तत्व देश में स्वस्थ एवं वास्तविक प्रजातंत्र की स्थापना की दिशा में प्रेरणा देने वाले हैं। एल० जी० खेड़ेकर के शब्दों में, "नीति निर्देशक तत्व वे आदर्श हैं [redacted] जिनकी क्रियान्विति का प्रयत्न शासन को करना है।" अमरनन्दी के अनुसार, "नीति निर्देशक तत्व ऐसे आदेश के रूप में हैं जो संविधान द्वारा राज्य को दिये गये हैं।" ग्रेनविल ऑस्टिन के शब्दों में, "निर्देशक तत्व, सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति के माध्यम हैं।"

उद्देश्य:- लोककल्याणकारी राज्य की स्थापना करना तथा समाजवाद, गाँधीवाद एवं उदारवाद का सृजन करना है।

भारतीय संविधान में शामिल निर्देशक तत्वों की प्रकृति —

निर्देशक तत्वों की प्रकृति के सम्बन्ध में अनुच्छेद 37 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि इन्हें किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा

Scanned with CamScanner

Date __/__/____

Saathi

सकता, किन्तु ये तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि निर्माण में इनका प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य के पास समुचित संसाधन रहने पर ही वह इन्हें लागू करसकेगा।

उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट होता है कि निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों के समान वैधानिक शक्ति प्रदान नहीं की गयी है अर्थात् इनके क्रियान्वयन हेतु न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार के आदेश जारी नहीं किए जा सकते हैं। भले ही ये तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं हैं अर्थात् राज्य के द्वारा लागू नहीं करने पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, परन्तु ये शासन के आधारभूत सिद्धांत हैं तथा शासन व्यवस्था के तीनों अंगों कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिका को इनके महत्व को स्वीकार करना पड़ता है।

जी० एन० जोशी के शब्दों में, "निदेशक तत्वों का विधानमंडलों को कानून बनाते समय और कार्यपालिका को इन कानूनों को लागू करते समय ध्यान रखना चाहिए ये उस नीति की ओर संकेत हैं। जिसका अनुकरण संघ और राज्यों को करना चाहिए।"

निदेशक तत्वों की प्रकृति के आधार पर इन्हें तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है —

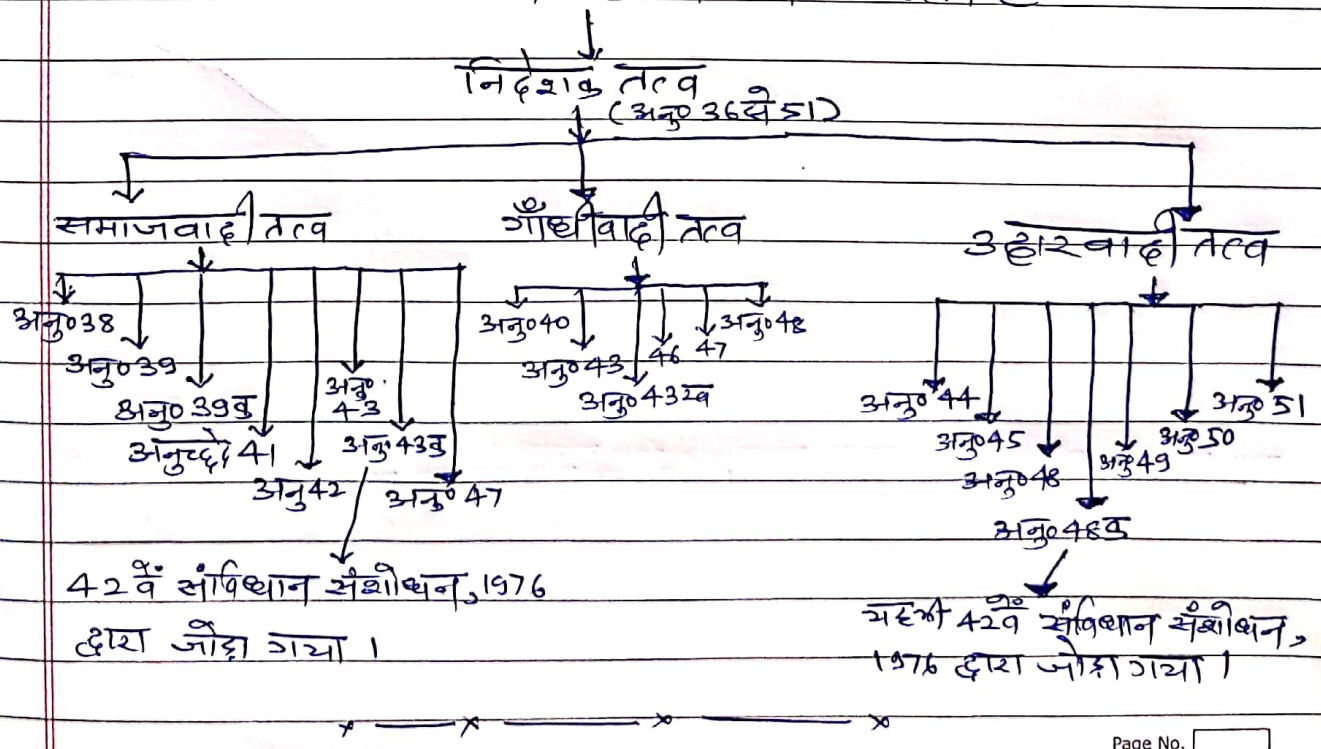

Page No.

Scanned with CamScanner